भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 392
दिनांक 21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में चिकित्सा कर्मियों की कमी

392. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (2020-21) के अनुसार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की कमी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे आवश्यक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा कार्मिकों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है, जो निम्नवत है:

https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/RHS%202021%2022.pdf

स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास होते हैं। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी समग्र संसाधन सीमा के अंतर्गत उन्हें उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के अंतर्गत, देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते है:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके लिए आवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना रुचिकर लगे।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों/ आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/ जीवन रक्षक एनेस्थीदसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन जैसे डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
- राज्यों को "यू कोट वी पे" जैसी रणनीतियों में छूट सहित विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए परक्राम्य (नेगोशिएबल) वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
- गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन, जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में प्राथमिकता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आवास संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने को भी एनएचएम के तहत शुरू किया गया है।
- विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल को एनएचएम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। मौजूदा एचआर का कौशल उन्नयन करना स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए एनएचएम के तहत एक और प्रमुख कार्यनीति है।

*****